उपभोग करने देवे।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली
अवलोकन किया जिससे जाहिर आया कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामः
बनना पाया जाता है जिससे अप्रार्थीगण के विरूद्ध आगामी तारीख पेशी त
अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अंतरि
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं कि सरहद भूतेला पटवार हल्क
चावण्डिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोशीथल तहसील सहाड़ा जिल
भीलवाड़ा (राज0) की उक्तानुसार खाता संख्या 103, 104, 105 वर्णित भू
से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य
करावे तथा प्रार्थीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार क
बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करा
व न ही वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण
/ खुर्द बुर्द करे तथा न ही किसी अन्य से करावे तथा न ही वादग्रस्त
आराजीयात के विकय/ हस्तांतरण संबधी दस्तावेज तैयार कर उनक
पंजीयन करावे तथा विपक्षी संख्या 06 भी विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 द्वार
वादग्रस्त आराजीयात के विकय/ हस्तांतरण संबधी दस्तावेज पेश करने प
उनका पंजीयन नही करे तथा विपक्षी संख्या 05 राजस्व रेकार्ड मे कोई
परिवर्तन नही करे तथा प्रार्थीगण को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग
करने देवे।

पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब हेतु नियत दिनांक 17.05.2021
को पेश हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

17/5/2021 मिसल पेश। कोविड-19 महामारी के
से अधिवक्तागण एवं पक्षकारान अनुपस्थित
पीठासीन अधिकारी व्यवस्थाकीय व्यवस्था
में व्यस्त। मिसल वापस
हेतु दिनांक 19/7/2021 को पेश हो।

19/7/2021 मिसल पेश। वादीगण एवं इनकी अधिवक्ता
उप। प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता
द्वारा बताया कि हमारा आपस मे राजीनामा
हो गया है एवं उक्त इनवाद प्रकरण
मे कोई कार्यवाही नही चाहते है अप्रार्थीगण अधिवक्ता CSRI Not press की
रेकार्ड पर फैक्स कर एवं बताया की
Not press किये गये है प्रकरण मे कोई
कार्यवाही नही चाहते है प्रार्थना पत्र
कलमबद्ध आदेश की हेतु पेश।
स्थिति ठीक लगती है एवं मिसल वादी के साथ उपलब्ध
है पक्षकारी द्वारा किया गया समझौता

नारायणी देवी
गणी
नानी
Not press
Sanction
Adv. Hindu

Scanned with CamScanner